चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा टप्पेबाजी की 04 घटनाओं का खुलासा करते हुए 02 अन्तर्राज्यीय टप्पेबाजों को 45000/- रूपये सहित घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.राजेश मिश्रा उर्फ पंजाबी पुत्र श्री रामानुज मिश्रा उम्र करीब 40 वर्ष नि0 पुरवा तरौहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट

2. आनन्द यादव पुत्र रामकरन यादव उम्र 19 वर्ष नि0 पुरवा तरौहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट

अपराधिक इतिहास ---

राजेश मिश्रा उर्फ पंजाबी पुत्र श्री रामानुज मिश्रा उम्र करीब 40 वर्ष नि0 पुरवा तरौहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट

1.मु0अ0स0 85/21 धारा 392/411 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा

2.मु0अ0स0 93/21 धारा 307 भादवि थाना कमासिन जनपद बांदा

3.मु0अ0स0 94/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा

4.मु0अ0स0 206/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 420 भादवि थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज

5.मु0अ0स0896/21 धारा 379/411 भादवि थाना नैनी जनपद प्रयागराज

6.मु0अ0स0 53/21 धारा 379/411 भादवि थाना बदौसा जनपद बांदा

7. मु0अ0स0 101/25 धारा 303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपदचित्रकूट

8. मु0अ0स0 121/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

9. मु0अ0स0 176/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा

10. मु0अ0सं0 67/25 धारा 303/318/317(2) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

आनन्द यादव पुत्र रामकरन यादव उम्र 19 वर्ष नि0 पुरवा तरौहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट

1.मु0अ0सं0 67/25 धारा 303/318/317(2) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

2.मु0अ0स0 101/25 धारा 303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना रैपुरा जनपदचित्रकूट

3. मु0अ0स0 121/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

4.. मु0अ0स0 176/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा

बरामदगीः-

1. टप्पेबाजी के 45000/- रूपये
2. 01 अदद मोटर साइकिल
3. 01 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

काली घाटी सरैया थाना मानिकपुर,26.05.2025 समय 16.50 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.05.2025 को वादी हरीप्रसाद यादव पुत्र स्व0 रामपाल यादव निवासी ऊसरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी गयी कि दिनांक 06.05.2025 को वह और उसका लड़का दयाराम यादव व रामआसरे यादव आर्यावर्त बैंक शाखा सरैया में पैसे निकालने आये थे। बैंक से 8000/- रूपये निकालने के बाद बैंक के बाहर खड़े होकर गिन रहे थे तभी एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात आया और मुझे गड्डी पकड़ाया और कहा कि इसमें 01 लाख रूपये है इसे रखों और अपना पैसा हमें दे दों, मुझे रूपये की आवश्यकता है। मैं

अपने भाई को रूपये देकर तुरन्त वापस आ रहा हूँ। फिर इसमें से तुम्हे तुम्हारे रूपये वापस करने के बाद बचे हुए पैसे बैंक में जमा करूंगा। उसकी बात पर भरोसा कर मैनें उसे अपने 8000/- रूपये दे दिये और रुमाल में बधी गड्डी ले ली। काफी समय तक इन्तजार करने के बाद जब वह व्यक्ति नही आया तो हम लोगों ने गड्डी खोलकर देखी तो उसमें कागज था। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 67/2025 धारा 303,318 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर व स्वाट/सर्विलांस को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

दिनांक 26.05.2025 को थाना मानिकपुर व स्वाट/सर्विलांस टीम काली घाटी के ऊपर अपराध एवं अपराधियों के बारे में बात कर रहे थे तभी मौके पर वादी मुकदमा आया और बात करने लगा तभी मानिकपुर से चित्रकूट की तरफ मोटर साइकिल से 02 अज्ञात व्यक्ति आ रहे थे। तभी वादी मुकदमा ने बताया कि साहब यह वही व्यक्ति है जिसने मेरे साथ टप्पेबाजी की घटना कारित की है। तभी घेरघार कर आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूंछने पर पहले ने अपना नाम राजेश मिश्रा उर्फ पंजाबी पुत्र श्री रामानुज मिश्रा उम्र करीब 40 वर्ष नि0 पुरवा तरौहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट तथा दूसरे ने अपना नाम आनन्द यादव पुत्र रामकरन यादव उम्र 19 वर्ष नि0 पुरवा तरौहा थाना कर्वी जनपद चित्रकूट बताया। राजेश मिश्रा उपरोक्त की जामा तलाशी से चोरी/लूट के 26000/- रूपये व 01 अदद चोरी का मोबाइल बरामद हुआ तथा आनन्द यादव उपरोक्त से चोरी/लूट के 19000/- रूपये बरामद हुआ। घटना में प्रयुक्त मो0सा0 UP 96 N 6498 के टंकी के ऊपर रके एक कागज की गड्डी जिसको टेप से चिपकाया गया बरामद हुई। अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो संयुक्त रूप से अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों इसी मोटर साइकिल से जनपद के थाना राजापुर,रैपुरा व जनपद बांदा के थाना अतर्रा में टप्पेबाजी की घटना कारित किये है। जिसके सम्बन्ध में थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात, थाना रैपुरा में मु0अ0स0 101/25 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात तथा मु0अ0स0 176/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा बनाम अज्ञात पंजीकृत है। उपरोक्त सभी मुकदमों में माल बरामदगी के आधार पर 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

<u>थाना मानिकपुर की टीम-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव

1.चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 रामअधार सिंह

2.उ0नि0 गफूर खाँ

3. का0 राजीव सिंह

4.का0 विनोद यादव

5.का0 मनोज

<u>स्वाट/सर्विलांस की टीम-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक स्वाट/सर्विलांस श्री एम0पी0 त्रिपाठी

2.हे0का0 जितेन्द्र कुशवाहा

3.का0 रोहित सिंह

4.का0 रोशन सिंह

5.का0 पवन कुमार

6.का0 ज्ञानेश मिश्रा

7.का0 गोलू भार्गव

(4). आज दिनांक 27.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद परेड अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बारी बारी ड्रिल करवाकर ड्रिल के बारे में बताया गया तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम व नव निर्मित भवन का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(5). आज दिनांक 27.05.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में एलआईयू उ0नि0 श्री शिवसागर तिवारी की उपस्थिति में एस चेक टीम, डॉग स्क्वॉड एवं एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा ज्येष्ठ मास अमावस्या मेला के अवसर पर बुढ़े हनुमान मंदिर, मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर, परिक्रमा मार्ग, बंबू सेठ वाली गली रामघाट, उतारा बाजार, निर्मोही अखाड़ा, मंदाकिनी गंगा आरती घाट आदि स्थानों पर सघन चेकिंग कराई गई।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. राजेन्द्र पटेल पुत्र नत्थू पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. धर्मेन्द्र उर्फ छोटा पुत्र जगदीश यादव उम्र 26 वर्ष निवासी नरायणपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3. लवलेश यादव पुत्र रामलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी नरायणपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 4. बऊवा उर्फ शारदा यादव पुत्र वेदप्रकाश उम्र 27 वर्ष निवासी नरायणपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 5. राजेन्द्र यादव पुत्र बेदप्रकाश यादव उम्र 33 वर्ष निवासी नरायणपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(7). आज दिनांक 27.05.2025 को साइबर सेल टीम निरीक्षक श्री निशिकान्त राय व आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज कर्वी चित्रकूट में साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। जिसमें सभी शिक्षिकाओं/छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी से बचने प्रमुख बिन्दु बताये गये- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर

अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह व उनकी टीम द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.05.2025 को एक वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दिया गया कि बेटी को बहला फुसलाकर जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाना, कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार करना तथा वीडियों व फोटो बना लेना । इस सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0-306/25 धारा 64/123/87/115(2)/351(2)/304 बीएनएस बनाम शुभम सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह पंजीकृत किया गया। अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह को एसडीएम कालोनी रोड पटेल तिराह के पास से मय एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो रेनो 10 ब्लैक कलर के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.अपराध निरीक्षक श्री लाखन सिंह थाना कोत0 कर्वी

2.उ0नि0 श्री गजबये आलम

3.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

(8). माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट के आदेश दिनांक 19.04.2025 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 27.05.2025 को आबकारी अधिनियम के अभियोगो से सम्बन्धित मालों को श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,श्रीमान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह, लिपिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अतुल मिश्रा, आबकारी निरीक्षक श्री प्रफुल कुमार सिंह ,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह,चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता, हेड मोहर्रर बृजेन्द्र यादव,हेड मोहर्रर विमलेन्द्र की उपस्थिति में चौकी सीतापुर परिसर में गढ्ढा खोदवाकर कुल 108 मुकदमा आबकारी अधिनियम के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर गढ्ढे में डालकर जलवाकर विनिष्टीकरण कराया गया।